

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

संचिका सं० स्था०-02/03-05/2014

/पटना, दिनांक

प्रेषक,

नोडल पदाधिकारी,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

विषय:- मुख्यशीर्ष 3454 के गैर योजना मद में प्राप्त आबंटन से अव्यवहृत राशि के प्रत्यार्पण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यशीर्ष 3454 के गैर योजना मद CSO (0002-राज्य सांख्यिकी संगठन), CGS (0001-सामान्य सांख्यिकी का संग्रह) एवं BSS (0001-प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र) शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में शीर्षवार कई आवंटन आदेश निर्गत किया गया है प्राप्त शीर्षवार आवंटन में इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक मदवार व्ययन योग्य कुल राशि के पश्चात कई मदों में राशि आवशेष रहने की संभावना है, जिसका आकलन किया जा चुका होगा।

अतएव आग्रह है कि जिन शीर्षों के जिन मदों में (खासकर विद्युत प्रभार, विधि प्रभार आदि) राशि अवशेष रहने की संभावना है उन शीर्षों का मदवार प्रत्यार्पण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में ई०-मेल एवं विशेष दूत के माध्यम से निदेशालय को तुरन्त उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि अवशेष राशि का उपयोग किया जा सके।

इस संबंध में उल्लेखनीय होगा कि अभी की जाने वाली प्रत्यार्पित राशि को भी 31.03.2016 के उन शीर्षों के प्रत्यार्पण प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए प्रत्यार्पण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

अनुलग्नक:- प्रत्यार्पण प्रतिवेदन
का प्रपत्र-1पन्ने।

विश्वासभाजन

ह०/-

नोडल पदाधिकारी (बजट)
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

ज्ञापांक:-

299

/पटना, दिनांक 09/02/16

प्रतिलिपि:-

श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को वेबसाईट पर अप लोड करते हुए ई-मेल से प्राप्त प्रत्यार्पण प्रतिवेदन प्रतिदिन बजट शाखा को उपलब्ध कराने की अचुक व्यवस्था करेंगे।


नोडल पदाधिकारी (बजट)


31/4/16

विहित पत्र

वित्तीय वर्ष 2015-16

गैर योजना/केन्द्रीय योजनागत योजना/राज्य योजना

कार्यालय का नाम:-

आहरण/व्ययन पदाधिकारी का टेलीफोन एवं दूरभाष संख्या

मुख्य शीर्ष उप मुख्य शीर्ष लघुशीर्ष उप शीर्ष

विपत्र कोड:-.....

क्र. सं.	विषय कोड	विषय शीर्ष	कुल प्राप्त आवंटन	दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक वास्तविक व्यय	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2		3	4	5	6
2	01-01	वेतन				
2	01-02	विशेष वेतन				
3	01-03	जीवन यापन भत्ता				
4	01-04	मकान भाड़ा भत्ता				
5	01-05	परिवहन भत्ता				
6	01-06	चिकित्सा भत्ता				
7	01-07	अन्य भत्ता				
कुल योग:-						
8	06-01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति				
9	11-01	यात्रा व्यय				
10	13-01	कार्यालय व्यय				
11	13-02	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव				
12	13-03	दूरभाष				
13	13-04	विद्युत प्रभार				
14	13-05	विधि प्रभार				
15	13-06	वर्दी/पोशाक				
16	14-01	किराया महसूल एवं कर				
17	16-01	प्रकाशन एवं मुद्रण				
18	20-02	कॉफ़ेन्स, कार्यशाला एवं सेमिनार				
19	20-03	प्रशिक्षण व्यय				
20	28-01	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं				
21	52-01	मशीने एवं उपस्कर				
कुल योग:-						

नोट:- उपरोक्त विषय शीर्ष के अलावे यदि अन्य मदों में राशि आवंटित की गई हो तो उसे जोड़ते हुए, एक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त सभी आवंटनों को समेकित कर एक ही प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजा जाय।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर